न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 02/2025 तारीख रजू:— 13.01.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. चन्द्रहंस आयु 53 साल	पिसरान ब्रजवल्लभ, जाति ब्राहमण
2. केदार आयु 51 साल	निवासी बरगमा, तहसील हिण्डौन
3. चन्दमुनि आयु 49 साल	हाल तहसील श्रीमहावीरजी
4. गजानन्द आयु 47 साल	जिला करौली, राज.
5. ब्रहमानन्द आयु 45 साल	————————प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली, राज.———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट प्रार्थी/आवेदक

निर्णय दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नं. 1104 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम बरगमा, तहसील हिण्डौन सिटी, हाल तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में स्थित है। उक्त भूमि दामोदर, बृजवल्लभ, रामेश्वर पिसरान घीस्या, घीस्या, सरुपा पिसरान नाथू, गिलूरा, रघुवीरशरण, गंगासहाय, रामचरण पिसरान रामेत, समस्त जाति ब्राह्मण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि थी। बृजवल्लभ प्रार्थीगण के पिता हैं तथा बृजवल्लभ के फौत होने के कारण प्रार्थीगण ही बृजवल्लभ के एकमात्र कानूनी वारिसान हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि भूप्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि को हाल खसरा नं. 1011/ 2938, 1019 /2939 कुल किता 2 कुल रकबा 36 ऐयर कायम किये हैं तथा उक्त भूमि में बृजवल्लभ के स्थान पर भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बृजमोहन दर्ज कर दिया तथा दिनांक 31.05.1989 को न्यायालय सहायक भू प्रबन्धगण भू अभिलेख अधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.1989 को मिसल नम्बर 262एन/89 के जरिये बृजमोहन के बजाय उक्त भूमि में बृजवल्लभ दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये थे लेकिन उस वक्त भी भू प्रबन्ध विभाग का कार्य चल रहा था तथा दौराने भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने उक्त संशोधन नहीं कर बृजवल्लभ के जगह बृजमोहन ही दर्ज कर दिया। तभी से ही बृजमोहन राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण बृजवल्लभ के जायज एवं कानूनी वारिसान हैं तथा भूप्रबन्ध विभाग भरतपुर के आदेश की पालना में उक्त भूमि में बृजमोहन की बजाय बृजवल्लभ नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना कानूनन: न्यायसंगत है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम अन्य राजस्व रिकार्ड व सभी जगह बृजवल्लभ होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम नहीं खुल रहा है तथा उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थीगण को काफी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उक्त त्रुटि को संशोधित किया जाना कानूनन: न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण को उक्त लिपिकीय त्रुटि का सर्वप्रथम ईल्म दिनांक 31.12.2024 को हुआ इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं है जो उक्त धारा की परिधि में नहीं आता हो।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता का नाम बृजमोहन को हजफ कर माननीय भूप्रबन्ध विभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 31. 05.1989 की पालना में बृजमोहन के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा इस न्यायालय के पत्रांक 515 दिनांक 20.07.2025 से अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमहावीरजी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी हिण्डौन मुख्यालय भरतपुर मिसल नं0 272–एन/89, किस्म मुकदमा –इन्द्राज दुरूस्ती, वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन उनवान वृजबल्लभ पुत्र घीस्याराम निर्णय दिनांक 31.05.1989, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 पेश की है।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी हिण्डौन मुख्यालय भरतपुर मिसल नं0 272–एन/89, किस्म मुकदमा –इन्द्राज दुरूस्ती वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन उनवान वृजबल्लभ पुत्र घीस्याराम निर्णय दिनांक 31.05.1989 में अंकित किया है कि प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया, हाल खसरा नम्बर 1011/2938, 1019/2939 पर वृजमोहन नाम अंकित है जबकि जमाबन्दी सं0 2035–38 खाता संख्या 179 के अनुसार वृजबल्लभ होना चाहिए। अतः आदेश है कि खसरा नम्बर 1011/2938, 1019/2939 पर वृजमोहन के बजाय वृजवल्लभ संशोधन किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। किस्म जमीन संशोधन बाबत् प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः रिकार्ड किस्म बदस्तूर रहेगी। बाद अमल पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1011/2938 रकबा 0.28 है0, 1019/2939 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में बृजमोहन पुत्र घीस्या हि0 1/8 जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति सहखातेदार काश्तकार हैं।

फोटो नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी दामोदर बृजबल्लभ रामेश्वर पि0 घीस्या व सरूपा पुत्र लल्लू हि0 3/4, गिलूरा रघुवीरशरण गंगासहाय रामचरण पि0 रामेत ब्राहम्ण हि0 1/4 निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में बृजबल्लभ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पुत्र घीस्या सहखातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नम्बर 1011/2938 रकबा 0.28 है0, 1019/2939 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में बृजमोहन पुत्र घीस्या हि0 1/8 जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। फोटो प्रति नकल न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी हिण्डौन मुख्यालय भरतपुर मिसल नं0 272–एन/89, किस्म मुकदमा –इन्द्राज दुरूस्ती वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन उनवान वृजबल्लभ पुत्र घीस्याराम निर्णय दिनांक 31.05.1989 में अंकित किया है कि प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया, हाल खसरा नम्बर 1011/2938, 1019/2939 पर वृजमोहन नाम अंकित है जबकि जमाबन्दी सं0 2035–38 खाता संख्या 179 के अनुसार वृजबल्लभ होना चाहिए। अतः आदेश है कि खसरा नम्बर 1011/2938, 1019/2939 पर वृजमोहन के बजाय वृजवल्लभ संशोधन किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। किन्तु उक्त प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश नहीं की गई है कि जिससे यह साबित हो सके कि सेटिलमेन्ट से पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 1104 के दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 1011/2938, 1019/2939 वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी कायम किये गये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1011/2938 रकबा 0.28 है0, 1019/2939 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली